न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1194–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–2–13 पारित द्वारा राजस्व मंण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक 1836–तीन/2006

कौशल किशोर पुत्र श्यामलाल पहारिया
निवासी लहार रोड भाण्डेर
तहसील भाण्डेर जिला दतिया .....आवेदक

विरूद्ध

1– जगदीश पुत्र चन्द्रशेखर वैश्य
निवासी सब्जी मण्डी कस्बा भाण्डेर
तहसील भाण्डेर जिला दतिया
2– चन्द्रशेखर पुत्र श्यामलाल
निवासी लहार रोड भाण्डेर
तहसील भाण्डेर जिला दतिया .....अनावेदकगण

.....

श्री एच.पी. कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–13 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवरी की भूमि सर्वे कमांक 87/1 रकबा 1–93 हैक्टेयर (बन्दोबस्त के बाद का सर्वे नम्बर) का भूमिस्वामी मृतक रामरतन पुत्र भागीरथ था । मृतक रामरतन का कोई पुत्र–पुत्री आदि नहीं था, उसके द्वारा एक वसीयत दिनांक 19–7–94 को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक 1 जगदीश के नाम से निष्पादित की, और बाद में वसीयत को निरस्त करते हुए दूसरी वसीयत दिनांक 3–5–02 को अनावेदक कमांक 1 जगदीश और आवेदक कौशल किशोर के नाम से निष्पादित करते

हुए दोनों को समान भाग दिये गये । तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 के द्वारा पुरानी वसीयत दिनांक 19–7–94 के आधार पर अपने पक्ष में सम्पूर्ण भूमि पर नामांतरण कराने की याचना की गई । आवेदक के द्वारा दिनांक 3–5–2002 की वसीयत के आधार पर मृतक रामरतन की भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एवं आवेदक का समान भाग पर नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । इन दोनों आवेदन पत्रों के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 21/2002–03/अ–6 पंजीबद्ध किया गया और तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही संहिता की धारा 110 के अंतर्गत आरंभ की गई। दोनों पक्ष की ओर से अपने–अपने साक्ष्य पेश किये गये, और अपने–अपने पक्ष की वसीयत के आधार पर नामांतरण कराने का तर्क पेश किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 20–4–2004 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयत दिनांक 19–7–94 के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर जिला दतिया के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–6–2004 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, और दिनांक 3–5–2002 की वसीयत के आधार पर अनावेदक कमांक 1 और आवेदक के पक्ष में मृतक रामरतन की भूमि पर समान भाग पर नामांतरण का आदेश पारित करते हुए पटवारी अभिलेख में अमल कराने का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–6–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 जगदीश द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–2–13 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई । इस न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई है कि पूर्व में निष्पादित वसीयतनामा को दूसरे पंजीकृत वसीयतनामा से ही बदला जा सकता है । पंजीकृत वसीयतनामा को अपंजीकृत वसीयत से नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि विधि का

सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि इस प्रकरण में अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि हुई है, इसलिए इस न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन में निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की वसीयत को प्रमाणित माना गया है, जबकि अनावेदक कमांक 1 की वसीयत को सिद्ध नहीं पाया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज को यदि अनदेखा कर आदेश पारित किया जाता है, तब वह पुनर्विलोकन का पर्याप्त आधार है । उनके द्वारा पुनर्विलोकन स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन के लिए उल्लिखित तीन आधारों में से कोई भी आधार इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । यह भी कहा गया कि यद्यपि इस न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, इसके बावजूद भी यदि त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है, तब भी वह पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि इस न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, तब उसे वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इस न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन में आदेश को नहीं बदला जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा विधिवत वैधानिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा पुनर्विलोकन अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश भाण्डेर द्वारा व्यवहार वाद कमांक 31 ए/04 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2006 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी, परन्तु इस न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 4–2–13 पारित करने में व्यवहार न्यायालय के आदेश को विचार क्षेत्र में नहीं लिया गया है, जो कि अभिलेख से प्रथम दृष्टया त्रुटि है । अतः इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1836–तीन/2006 में पारित आदेश दिनांक 4–2–13 के

पुनर्विलोकन का पर्याप्त आधार होने से पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है । फलस्वरूप निगरानी प्रकरण कमांक 1836–तीन/2006 में पुनः सुनवाई हेतु तिथि नियत किया जाये। उभय पक्ष को सूचना दी जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर